#-2024/180

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना........................

जवाहरसिंह ....बनाम ....उर्मिला वगै0........................

.......किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं. 99/24 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
03.06.24	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1445 रकवा 0.98, वाके ग्राम बरखेडा तहसील बयाना स्थित है में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें। डोर, मेड नहीं तोडे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रख्अप्रार्थीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 04.07.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1445 रकवा 0.98, वाके ग्राम बरखेडा तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण / रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) दीगर हैं	

417/24

पीठासीन अधिकारी .... हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश हो

रीडर
उ.खं./एस.डी.एम.

23/5/24 पीठासीन अधि... [illegible] बीमा कार्य [illegible]
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/11/24 को पेश हो
रीडर
कार्या./एस.डी.एम.

27/11/24 – प्र. प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं पायी गयी है। पुनः अप्रार्थीगण को तामील हेतु [illegible] पेश हो दिनांक 14/3/25 को पेश हो।

14/3/25 बीमा कार्य में
पीठासीन अधिकारी .... हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/5/25 को पेश हो
रीडर
कार्या./एस.डी.एम

21/5/25 प्र. प्रार्थी उपस्थित। [illegible] / प्रार्थी वास्ते आदेश कार्यवाही [illegible] के साथ [illegible] दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

[illegible] 20/8/25 [illegible] 20/8/25

20/8/25 प्रकरण पेश हुआ। प्र. प्रार्थी उपस्थित। प्र. प्रार्थी की ओर से [illegible] प्रार्थीगण अपना प्रकरण [illegible] नहीं चलाना चाहते हैं [illegible] प्रार्थीगण [illegible] किया। इस बाबत प्रार्थीगण ने [illegible] के समक्ष [illegible] किये गये। प्रकरण प्रार्थीगण [illegible] के आधार पर [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)